3045

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 09/2021 Gcms No. 2021/
दायरा तिथि : 17.11.2021
आदेश तिथि : 9-12-2021

अपीलान्ट :–

पुष्करराज पुत्र हरीरामजी जाति माली
निवासी कोटबालियान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. ग्राम पंचायत, कोटबालियान तहसील बाली
2. शान्ति पत्नि हरीराम उम्र 54 वर्ष जाति माली
   निवासी कोटबालियान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री सांकलाराम देवासी ....अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से
2. श्री दिग्विजयसिंह कुम्पावत................................ अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से
3. श्री विक्रमसिंह कुम्पावत .... अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–02 की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक : 9-12-2021

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट ने उक्त अपील सरपंच ग्राम पंचायत कोटबालियान द्वारा ग्राम कोटबालियान के नामान्तरकरण संख्या 373 में दिनांक 12.05.2000 को पारित आदेश से व्यथित होकर उक्त प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत की। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में इसका आधार यह बताया कि पुश्तैनी भूमि ग्राम कोट बालियान के खसरा नंबर 934,937,935,936 कुल खसरा–04 कुल रकबा 5.12 हैक्टर के सबंध में अपने पिता हरिलाल पुत्र जसाराम के देहांत के पश्चात् दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 373 से अपना त्रुटिपुर्ण नाम दिनेश अंकन कर देने से तथा मतदाता सूची, छात्र रजिस्टर टी.सी., आधार कार्ड, आयकर विभाग के पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता व भामाशाह कार्ड आदि में **सही नाम व वास्तविक नाम पुष्करराज पुत्र हरिराम दर्ज होने से इन सरकारी दस्तावेजे में दर्ज इन्द्राज के अनुसार सही व वास्तविक नाम पुष्करराज पुत्र हरिराम दर्ज** किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या–01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजयसिंह कुम्पावत व रेस्पोडेट संख्या–02 की ओर से श्री विक्रमसिंह कुम्पावत ने नियत तिथि 9.12.2021 को उपस्थित होकर प्रस्तुत अपील मात्र नाम संशोधन की होने से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर अपील में उल्लेखित तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपीलान्ट का सही नाम पुष्करराज पुत्र हरिराम दर्ज किये जाने बाबत् अपनी सहमति प्रकट की। जिससे उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि अपीलान्ट का सही व वास्तविक **नाम पुष्करराज पुत्र हरिराम** हैं, परन्तु अपीलान्ट के पिता हरिराम के देहांत के पश्चात् ग्राम कोटबालियान में स्थित भूमि खसरा नंबर 934, 937, 935, 936 कुल खसरा–04 कुल रकबा 5.12 हैक्टर के सबंध में पटवारी हल्का, कोटबालियान द्वारा दाखिल नामान्तरकरण संख्या 373 दिनांक 12.05.2000 से अपीलान्ट का नाम **दिनेश त्रुटिपुर्ण** अन्य भाईयो के साथ में अंकन कर दिया, जिस नामान्तरकरण को निरीक्षक भू अभिलेख की जांच के पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत कोटबालियान द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा धारित अन्य दस्तावेजो यथा मतदाता सूची, छात्र रजिस्टर टी.सी., आधार कार्ड, आयकर विभाग के पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता व भामाशाह कार्ड आदि में **सही व वास्तविक नाम पुष्करराज पुत्र हरिराम दर्ज** हैं, मात्र वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में त्रुटिपुर्ण **नाम दिनेश** का अंकन है, जिसको शुद्ध किया जाना विधि अनुसार न्याय संगत हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाती हैं। ग्राम कोटबालियान के नामान्तरकरण संख्या 373 दिनांक 12.05.2000 को अपीलान्ट के त्रुटिपुर्ण नाम दिनेश की सीमा तक निरस्त किया जाता है। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को मय पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 373 दिनांक 12.05.2000 की सत्य प्रति के साथ भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं। वादग्रस्त भूमि ग्राम कोटबालिय के खसरा नंबर 934, 937, 935, 936 कुल खसरा–04 कुल रकबा 5.12 हैक्टर में अपीलान्ट का **सही व वास्तविक नाम पुष्करराज पुत्र हरिराम दर्ज** कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 9-12-2021 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली